राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,

राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141-2229981, E mail ID:cojsy.nhm@gmail.com

क्रमांक : F(14) NHM/RCH/MH/M.RajShree.Yojana/Part/ 396 दिनांक : 18/4/2017

समस्त अधीक्षक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
समस्त संयुक्त निदेशक, समस्त जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक,
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी – सीएचसी/पीएचसी,
– समस्त जिले, राजस्थान।

विषय : "मुख्यमंत्री राजश्री योजना" के अंतर्गत देय परिलाभ में, लाभार्थियों के भामाशाह कार्ड विवरण को ऑनलाईन ईन्द्राज किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले परिलाभ को भामाशाह कार्ड से जोडने के संबंध में दिनांक 10.04.2017 को माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आपको भेजकर निर्देशित किया जाता है कि **<u>दिनांक 15.05.2017 के पश्चात</u>** से राजश्री योजना के प्रथम परिलाभ हेतु लाभार्थी के भामाशाह कार्ड विवरण को पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन ईन्द्राज पश्चात ही ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान स्थानान्तरित किया जा सकेगा। अतः एएनसी के दौरान ही गर्भवती महिला से भामाशाह कार्ड विवरण लिया जाना सुनिश्चित करावें एवं इसकी ऑनलाईन प्रविष्टि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर ईन्द्राज करवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही संस्थागत प्रसव हेतु महिला के संस्थान पर भर्ती रहने के दौरान भी लाभार्थी का भामाशाह कार्ड विवरण पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर अपडेटेड है अथवा नहीं की पुष्टि की जावे। जिन केसेज में भामाशाह कार्ड विवरण ईन्द्राज/अपडेटेड नहीं है ऐसे प्रत्येक केस में लाभार्थी/परिजन से भामाशाह कार्ड विवरण प्राप्त कर पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर इन्द्राज सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉक मुख्यालयो पर कार्यरत सीडीपीओ–आईसीडीएस को, भामाशाह विवरण प्रविष्ट किये जाने वाले ड्यु केसेज की ग्रामवार सूची (महिला का नाम/पति का नाम, पीसीटीएस आईडी, मोबाईल नम्बर, उपकेन्द्र का नाम, सीएचसी/पीएचसी) पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर 'रिपोर्ट ऑन लाईनलिस्ट' विकल्प में उपलब्ध 'आधार स्टेटस' रिपोर्ट के माध्यम से अविलम्ब उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ : –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकि., स्वा. एवं प.क. विभाग, एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक आईसीडीएस, निदेशालय – आईसीडीएस, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक आरसीएच, मुख्यालय।
5. परियोजना निदेशक (मातृस्वास्थ्य), मुख्यालय।
6. डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, मुख्यालय।
7. समस्त जिला नोडल अधिकारी (डीएमएण्डईओ)–एनएचएम।
8. समस्त खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक – एनएचएम को पालनार्थ।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

cojsy.nhm@gmail.com